

NOTIFICATION

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE**

BORDER ROADS ORGANIZATION

**ATTENTION : GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS
REGARDING REVISION OF PENSION OF PRE-2016 PENSIONERS/FAMILY PENSIONERS**

Revision of Pension/Family pension of Pre-2016 Pensioners/Family Pensioners is being implemented in terms of Govt of India, Ministry of Personnel, PG & Pensions, Department of Pension & Pensioner's Welfare OM No 38/37/2016-P&PW(A) dated 12 May 2017. In order to facilitate the above, pensioners/family pensioners of GREF retired prior to 01 Jan 2016 are requested to provide the following information to the Head of the office from where the Govt servant retired as soon as possible. It is urged that the information be provided within one month from the date of issue of this Notification.

PPO Details			
Original PPO No		Latest Corrigendum PPO No	
Pensioner/Family Pensioner Details			
Name of Pensioner/Employee		Date of Retirement	
		Relationship	
		Date of Death	
Type of Pension		Post Last Held	
Nature of Pension		Basic Pension (as on 01.01.2016 pre-revised)	
PAN Number		Last Pay Drawn	
Address of Pensioner		Net Qualifying Service	
		Basic Pension (at retirement)	
Mobile Number		Spouse Name	
Aadhar Number		Spouse DOB	
Email ID		Spouse PAN	
Date of Birth		Spouse Aadhar	
Date of Appointment		Full address with Pin Code	
PDA Details			
Name of PDA		Bank Account Number	
PDA Station		BSR Code of CPPC	
Name of Bank		IFSC Code of Bank Branch	
Bank Branch			

Date : _____

Place _____

(Signature)

NOTE :-

Attested photocopies of the following documents of pensioner/ spouse/eligible family member may be submitted:-

- (a) PAN Card
- (b) Matriculation Certificate
- (c) Voter ID Card
- (d) Aadhar Number

अधिसूचना
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय

सीमा सड़क संगठन

सामान्य रिजर्व इंजीनियर बल के पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों के ध्यानाकर्षण हेतु ।
प्री - 2016 के पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों की पेंशन में संशोधन के बावत

भारत सरकार कार्मिक, पी जी एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 12 मई 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38/37/2016-पी एवं पी डब्ल्यू ए के अनुसार प्री-2016 के पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों की पेंशन/फेमिली पेंशन में संशोधन किया जा रहा है । 01 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए ग्रेफ के पेंशनरों/फेमिली पेंशनरों की सुविधा के लिए उनसे अनुरोध है कि वे जिन मुख्य कार्यालयों से सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको निम्नलिखित सूचनाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं । यह आग्रह है कि इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर सूचना उपलब्ध कराएं ।

पी पी ओ का विवरण

मूल पी पी ओ सं०		आखिरी कोरीजेंडम पी पी ओ सं०	
पेंशन भोगी/पेंशन भोगी का परिवार विवरण			
पेंशन भोगी/कर्मचारी का नाम		सेवानिवृत्ति की तारीख	
		संबंध	
		मृत्यु की तारीख	
पेंशन का प्रकार		अंतिम पद	
पेंशन की प्रकृति		1-1-2016 को प्री रिवाइन्ड मूल पेंशन	
पैन सं०		अंतिम आहरित वेतन	
पेंशन भोगी का पता		कुल अर्हक सेवा	
		सेवानिवृत्ति पर मूल पेंशन	
मोबाईल नं०		पति/पत्नी का नाम	
आधार नं०		पति/पत्नी की जन्म की तारीख	
ई-मेल		पति/पत्नी का पैन सं०	
जन्म तिथि		पति/पत्नी का आधार सं०	
नियुक्ति की तारीख		पिन कोड सहित पूरा पता	
पीडीए का विवरण			
पीडीए का नाम		बैंक एकाउंट नं०	
पीडीए स्टेशन		सी पी पी सी का बी एस आर कोड	
बैंक का नाम		बैंक शाखा का आई एफ एस सी कोड	
बैंक शाखा			

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

पेंशनभोगी/पति/पत्नी/योग्य परिवार के सदस्य के निम्नलिखित कागजातों की सत्यापित फोटो प्रतियां भी भेजें :-

- | | |
|----------------------|--|
| (क) पैन कार्ड | (ख) जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट |
| (ग) वोटर आई डी कार्ड | (घ) आधार कार्ड |

हस्ताक्षर